पशु-क्रूरता निवारण (पशु-पकड़ना) नियम, 1979

एस.ओ. क्रमांक 9056 दिनांक 13 मार्च, 1979

जहाँ कि पशु-क्रूरता निवारण (पशु-पकड़ना) नियम 1978 का कच्चा प्रारूप, पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को धारा 38 (2) (**i**) के अनुसार, भारत - गजट के भाग **II** विभाग 3, उपविभाग (**ii**) दिनांक 13 जनवरी 1979 के पृष्ठ क्रमांक 139-140 पर प्रकाशन किया गया और भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के आदेश क्रमांक 14-19/76 एलडीआई दिनांक 30 दिसम्बर 1978 द्वारा अधिसूचना जारी की गई और राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन में सभी संबंधित व्यक्तियों के एतराज आमंत्रित किए गए।

और जहांकि उक्त गजट आम जनता को 13 जनवरी, 1979 को उपलब्ध किया गया।

और जहांकि उक्त प्रारूप - नियमों के संबंध में कोई एतराज या सुझाव जनता की ओर से नहीं आए।

अब, इसलिए, पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 (2)(**i**) में प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करते हुए, केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम बनाती हैः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रभावशीलता

ये नियम पशु-क्रूरता निवारण (पशु पकड़ना) नियम, 1979 कहलाएंगे।

2. चिड़ियों को पकड़ना

विक्रय, निर्यात या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु कोई भी चिड़िया जाल-पद्धति के अतिरिक्त नहीं पकड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण : एक चिड़िया जाल-पद्धति से पकड़ी समझी जाएगी, यदि, निम्नांकित सुरक्षा-व्यवस्था अपनाई जाएः जैसे - पकड़ने को जाली बुने हुए धागों की हो, जो मुलायम, गुंथने योग्य और पर्याप्त मजबूत हो-सूत, जूट या रासायनिक धागे की बनी हो, वह इस प्रकार बुनी हुई हो कि उपयुक्त आकृति की जाली बन जाए जिससे पकड़ी जाने वाली चिड़िया को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचे।

3. अन्य पशुओं को पकड़ना

(1) कोई भी पशु विक्रय, निर्यात या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु थैले एवं फंदे पद्धति के अतिरिक्त नहीं पकड़ना जाएगा।

प्राविधित है कि यदि कोई पशु उसके कद-काठी-स्वभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण थैले और फंदे पद्धति से पकड़ में नहीं आता है तो उसे बेहोशी की बंदूक या ऐसी किसी अन्य पद्धति से पकड़ा जाए कि पकड़ के पूर्व वह पीड़ा - शून्य हो जाए।

(2) ये नियम चिड़ियाओं के पकड़ने में लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :

कोई पशु थैले और फंदे पद्धति से पकड़ा गया तब माना जाएगा जबकि उसके पकड़ने में निम्नांकित सुरक्षात्मक उपाय हों जैसे थैले के रूप में एक मजबूत कैनवास जो न्यूनतम 12 से.मी. लंबा और 138 से.मी. व्यास का हो, जिसमें एक मुलायम रस्सी हो जिसकी लंबाई 5.5 मीटर हो और जो 4 से.मी. व्यास के दस या अधिक छल्लों से गुजरती हो जो थैले के सिरों पर लगे हों, और जिससे फन्दा सा बन जाये। उस थैले में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे-छोटे छेद हों जिनके माध्यम से पशु सांस ले सक और थैले को पशु पर फेंक कर पशु को पकड़ा जा सके और फंदों को पकड़कर-खींचकर पकड़ को सुनिश्चित की जा सके।

(भारत गजट 1979 भाग II (दो) विभाग 3 (ii) पृष्ठ 835, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 14-19/76 एलडीआई के संदर्भ में)